



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032020-218720
CG-DL-E-17032020-218720

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 963]
No. 963]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2020/फाल्गुन 23, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2020/PHALGUNA 23, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2020

का.आ. 1070(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में NH-50 (पुराना NH-218) के कि.मी. 276.390 से कि.मी.418.000 (बीजापुर -गुलबर्गा -होमनाबाद सेक्शन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने,टोल प्लाजा निर्माण ,आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "27.07.2019 " को "डेक्कन हेराल्ड " और "विजय कर्नाटक " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में NH-50 (पुराण NH-218) के कि.मी. 276.390 से कि.मी.418.000 (बीजापुर -गुलबर्गा -होमनाबाद सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक जिले का नाम: गुलबर्गा					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: जेवारगी				
	गांव का नाम: हरवाल				
1	127	निजी	शुष्क	0.1841	कमलाबाई पति शरणप्पा. (१२७/७ ब्लॉक II)
2	128	निजी	शुष्क	0.3137	वनिता पति बसवराज बंगारशेट्टी (१२८/४ ब्लॉक II)
3	130	निजी	शुष्क	0.9333	तुकाराम पिता थावरू राठोड़ (१३० ब्लॉक I,III,IV)
4	132	निजी	शुष्क	0.1416	१)राजेसाब पिता महबूबसाब २)खाजाभी पति महबूबसाब (१३२/१ ब्लॉक II)
5	132	निजी	शुष्क	0.3035	गुराणा पिता शिवशरणप्पा (१३२/२ ब्लॉक II)
6	132	निजी	शुष्क	0.5564	राजशेखर पिता शिवशरणप्पा (१३२/३ ब्लॉक II)
7	132	निजी	शुष्क	0.2521	राजशेखर पिता शिवशरणप्पा (१३२/३ ब्लॉक IV)

8	132	निजी	शुष्क	0.4148	शिवशंकर पिता कल्लाप्पागोड पाटिल (१३२/५ ब्लॉक I)
			कुल	3.0995	

[फा. सं. NHAI/LA/Dharwad/Karnataka/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th March, 2020

S.O. 1070(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, No. S.O.No 2110 (E) dated 25.06.2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning,,Construction Toll Plaza etc.), maintenance, management and operation of NH-50 (Old NH-218) on the stretch of land from Km. 276.390 to Km.418.000(Bijapur-Gulbarga-Homnabad Section) in the district of GULBARGA in the state of KARNATAKA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Deccan Herald*” and “*Vijaya Karnataka*” both dated 27.07.2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections received from the land owners/Interested persons as such it is considered that there is no objection for acquisition of land.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule here in below shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 276.390 to Km. 418.000 (Bijapur-Gulbarga-Honnabad section) of the NH-50 (Old NH-218) in the district of GULBARGA in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA		District: GULBARGA			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Jevargi				
	Village: Harval				
1	127	Private	dry	0.1841	Kamalabai W/o Sharanappa. 127/7 Block II
2	128	Private	dry	0.3137	Vanita W/o Basavaraj Bangarashetty 128/4 Block II
3	130	Private	dry	0.9333	Tukaram S/o Thavaru Rathod 130Block I,III,IV
4	132	Private	dry	0.1416	1)Rajesab S/o Mahibubsab,2)Khajabhi W/o Mahibubsab 132/1Block II
5	132	Private	dry	0.3035	Guranna S/o Shivasharanappa 132/2Block II
6	132	Private	dry	0.5564	Rajashekhar S/o Shivasharanappa 132/3Block II
7	132	Private	dry	0.2521	Rajashekar S/o Shivasharanappa 132/3Block IV
8	132	Private	dry	0.4148	Shivashankar S/o Kallappagoud Patil 132/5Block I
			TOTAL	3.0995	

[F. No. NHAI/LA/Dharwad/Karnataka/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.